377 जेंटलमैन कैडेट शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद देश-विदेश की सेना का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें 306 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थलसेना को मिलेंगे, जबकि 71 युवा सैन्य अधिकारी दस मित्र देशों की सेना का हिस्सा बनेंगे।

सेना शिक्षा कोर के गेट से फर्जी सैन्य अफसर ले गए दो राइफल

सुरक्षा में चूक ▶ मध्य प्रदेश में अलर्ट, होशंगाबाद की सीमाएं सील

सेना के किसी अधिकारी ने नहीं दिया बयान

नईदुनिया, होशंगाबाद

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर के गेट (बाहरी दरवाजा) से गुरुवार रात करीब तीन बजे दो युवक दो इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 20 कारतूस ले भागे। संदिग्ध युवक फर्जी सैन्य अधिकारी बनकर आए थे। मामला उजागर होते ही जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश में अलर्ट है। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। हालांकि, सेना के किसी अधिकारी ने इस मामले में बयान नहीं दिया है।

पुलिस के अनुसार सेना शिक्षा कोर के शहीद दीपक स्मारक गेट पर रात करीब तीन बजे दो युवक पहुंचे। वहां तैनात जवान को उन्होंने अपना परिचय सेना के अधिकारी के रूप में दिया। जवान अपनी राइफल वहीं छोड़कर बगल में केबिन में लगे फोन से वरिष्ठ अधिकारियों से पुष्टि करने लगा, तभी वह गेट के पास रखी दो इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 20 कारतूस लेकर कुछ दूर खड़ी टैक्सी से भाग गए। केबिन से लौटकर जवान ने दोनों युवकों और हथियारों को लापता पाया। तब उसने वरिष्ठ अफसरों को जानकारी दी। सेना ने अपने स्तर पर उन्हें तलाश करने के बाद तड़के करीब चार बजे एसपी एमएल छारी को सूचना दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले की सीमाओं को सील कर तलाशी अभियान चलाया गया है। हालांकि, आरोपितों का पता नहीं चला।

टैक्सी से आए थे युवक : एसपी छारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों युवकों ने रात करीब दो बजे पिपरिया से टैक्सी ली और पचमढ़ी पहुंचे। संबंधित टैक्सी चालक ने पुलिस को बताया कि दोनों युवकों की कद-काठी सेना के अफसरों जैसी ही थी। वे ट्रैक सूट और कैप पहने थे। पंजाबी में बात कर रहे थे। पचमढ़ी जाते समय दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन लौटते समय क्रिकेट का बैट रखने वाले बैग में कुछ सामान था। उसने दोनों को जब पिपरिया स्टेशन पर छोड़ा, तब हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर जाने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस आने वाली थी। आशंका है कि वे इसी ट्रेन से जबलपुर की तरफ चले गए।

छारी ने बताया कि सेना से संबंधित रेजीमेंटल पुलिस के हवलदार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ पचमढ़ी थाने में चोरी का केस दर्ज किया है।

पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर का गेट। नईदुनिया

कड़ी सुरक्षा वाला है इलाका

पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है। आधिकारिक अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों संदिग्ध कोर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके थे। वे गेट पर जवान द्वारा छोड़ी गई राइफलें लेकर भागे हैं।

> पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल और जबलपुर के रेलवे एसपी सहित सेंट्रल कंट्रोल रूम को भी सूचित कर दिया गया है। हर तरफ तलाश की जा रही है।
> – आशुतोष राय, आइजी, होशंगाबाद

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को दी टीटीजेड में पर्यावरण मंजूरी देने की अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य अधिकारियों को ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) में पेयजल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज सिस्टम जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरियां प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

पिछले साल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरियां देने के संबंध में तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था जब तक उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल और उसके आसपास पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए विजन दस्तावेज दाखिल नहीं कर देती। टीटीजेड 10,400 वर्ग किमी का ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फीरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान के भरतपुर तक फैला हुआ है। शीर्ष अदालत पर्यावरणविद एमसी मेहता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें ताजमहल और उसके आसपास पर्यावरण के संरक्षण की मांग की गई है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस तथ्य पर संज्ञान लेते हुए अपने पूर्व में दिए आदेश में संशोधन कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन दस्तावेज दाखिल कर निर्देशों का पालन किया है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि अब सरकार और अन्य अधिकारियों को पर्यावरण मंजूरियां प्रदान करने की अनुमति दे दी जाएं।

छत्तीसगढ़ में एफआइआर से इन्कार पर थाने में आदिवासियों ने दिया धरना

अनिल मिश्रा, रायपुर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित सारकेगुड़ा नरसंहार मामले में शुक्रवार को बासागुड़ा थाने पहुंचे आदिवासियों की शिकायत पर पुलिस ने जिम्मेदारों पर एफआइआर दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इससे भड़के आदिवासी थाने में ही धरने पर बैठ गए। हालात को संभालने के लिए थाना प्रभारी ने दो टूक कह दिया कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, एफआइआर दर्ज नहीं होगी। यह बात आदिवासियों को नागवार गुजरी।

गौरतलब है कि 28 जून 2012 को बीजापुर व बासागुड़ा से निकले कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ जवानों ने सारकेगुड़ा गांव में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं थीं, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इसमें आठ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण मुठभेड़ को फर्जी बताकर इसकी जांच की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने मुद्दे को आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की जा चुकी है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार सुबह नौ बजे से ही कोट्टागुड़ा, राजपेंटा और सारकेगुड़ा के ग्रामीण एकत्र हुए। दोपहर करीब एक बजे चार किमी दूर स्थित बासागुड़ा थाने के लिए कूच किया। करीब 60 ग्रामीण थाने पहुंचे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। दिल्ली से आए मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार भी आदिवासियों के साथ थाने पहुंचे। सारकेगुड़ा मामले में जिम्मेदारों पर एफआइआर दर्ज करने को लेकर उनकी एसडीओपी विनोद मिंज से तीखी बहस भी हुई। मिंज ने कहा कि वे आवेदन जरूर लेंगे, लेकिन एफआइआर तभी दर्ज करेंगे, जब ऊपर से दिशानिर्देश मिलेगा। यही से बात बिगड़ी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। समाचार के लिखे जाने तक आदिवासी थाने में ही डटे हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक एफआइआर दर्ज नहीं होगी, वे नहीं हटेंगे।

रमन सिंह बोले-आयोग की अनुशंसा पर करें कार्रवाई : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ बासागुड़ा थाने में शिकायत की गई है, इस पर डॉ. रमन ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यायिक जांच आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला 2012 का है। तब सरकार में रहते हुए हमने ही न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ गई है। अब सरकार को आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। सारकेगुड़ा फर्जी मुठभेड़ मामले में डॉ. रमन सिंह, मुकेश गुप्ता, तत्कालीन बस्तर आइजी लांगकुमेर, एसपी प्रशांत अग्रवाल, थाना प्रभारी इब्राहिम खान और कोबरा जवानों के खिलाफ के पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने बासागुड़ा थाने में शिकायत पत्र दिया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला स्थित बासागुड़ा थाने में धरना देते समय सूत कातते मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु। उनके पीछे सफेद टीशर्ट में सारेगुड़ा गांव निवासी इरपा महेश, नीली शर्ट में सेंटी काका, शांता मरकाम, इरपा जानकी। (नईदुनिया)

भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्तिदेवी पुरस्कार डॉ. विश्वनाथ तिवारी को

नई दिल्ली, वि : 2019 का 33वां मूर्तिदेवी पुरस्कार हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और आलोचक डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। यह भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से दिया जाना वाला पुरस्कार है। मूर्तिदेवी पुरस्कार उन्हें उनकी कृति 'अस्ति व भवति' के लिए दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत डॉ. तिवारी को सरस्वती प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और चार लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 20 नवंबर 1940 को जन्मे डॉ. तिवारी लंबे समय तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वह साहित्यिक पत्रिका 'दस्तावेज' के संपादक हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके तिवारी को महापंडित राहुल सांस्कृत्यान पुरस्कार व्यास सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, पूश्किन सम्मान मिल चुका है।

डॉ. विश्वनाथ तिवारी। फाइल

'भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। संज्ञेय अपराध के संबंध में औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी प्रकार की सूचना मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त होगी। किसी भी मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव व हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस मामले में 24 दिसंबर 2018 को हैदराबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया था, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी।

तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई तय प्रारूप या शैली नहीं है, जिसके तहत प्रारंभिक जांच कराई जाए। मामला दर्ज करने से पहले जांच जरूरी है या नहीं, यह प्रत्येक मुकदमे की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा, 'इसलिए, हम मानते हैं कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में प्रारंभिक जांच का फैसला (2014) भ्रष्टाचार के सभी मामलों के लिए अनिवार्य नहीं है।' पीठ ने कहा, 'कोर्ट कई बार कह चुका है कि किसी भी मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत तथ्यों और महत्व पर निर्भर करेगी। ऐसा कोई मानक नहीं कि किस मामले में इस प्रकार की जांच के लिए कहा जाया और किसमें नहीं, इसलिए संज्ञेय अपराध के बारे में मिली किसी भी प्रकार की सूचना से अगर अधिकारी संतुष्ट है तो रिपोर्ट दर्ज कर सकता है।'

शीर्ष अदालत ने अधिकारी के तर्क को खारिज कर दिया कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भ्रष्टाचार के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी है। उसने कहा कि वर्ष 2014 में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया था।

अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार के लिए छह नई याचिकाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को छह नई याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें पांच मौलाना मुफ्ती हसबुल्लाह, मुहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी नहबूब तथा मिशबाहुद्दीन की तरफ से दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) का समर्थन प्राप्त है। छठी याचिका मुहम्मद अयूब की तरफ से दाखिल की गई है।

वकील एमआर शमशाद के माध्यम से दाखिल की गईं पांचों याचिकाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और जफरयाब जिलानी ने अंतिम रूप दिया है। हालांकि, अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे धवन ने तीन दिसंबर को फेसबुक पोस्ट में कहा था कि उन्हें आगे की सुनवाई से अलग कर दिया गया है, इसलिए पुनर्विचार याचिका में उनकी भूमिका नहीं होगी। बाद में धवन ने कहा था कि वह मुस्लिम पक्ष को बांटना नहीं चाहते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उम्मीद जताई थी कि आगे की सुनवाई में धवन मुस्लिम पक्ष की बात रखेंगे।

▶ **पांच याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन**

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

एक पुनर्विचार याचिका के अनुसार, 'हमारा उद्देश्य महान देश की शांति को भंग करना नहीं है, लेकिन कोई भी शांति न्याय के अनुकूल होनी चाहिए। यह याचिका न्याय की मांग के लिए है।'

हसबुल्लाह ने पुनर्विचार याचिका में कहा है कि जमीन के मालिकाना हक के इस विवाद में उनके समुदाय के साथ 'घोर अन्याय' हुआ है और कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पूरी विवादित जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्षकारों को इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि वह पूरी तरह उनके कब्जे थी। जमीन किसी भी अवसर पर हिंदुओं के पास नहीं थी। यह भी एक स्वीकार्य तथ्य है कि दिसंबर 1949 तक मुसलमान इस स्थान पर नमाज पढ़ते थे। याचिका में कहा गया है कि नौ नवंबर के फैसले में कानून का उल्लंघन करने वालों और मस्जिद को ढहाने वालों को माफ कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद-142 के अंतर्गत सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश देना भी गलत है, क्योंकि इस मामले में कभी ऐसी मांग की ही नहीं गई।

इसके पहले दो दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष तथा अयोध्या मामले में मूल पक्षकार रहे ए. सिद्दिक के वारिस मौलाना सैयद अशद रशीदी ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश दिए जाने से ही इस मामले में 'पूर्ण न्याय' होगा। उन्होंने फैसले के 14 बिंदुओं पर पुनर्विचार की अर्जी लगाई है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने नौ नवंबर को सर्वसम्मति से दिए ऐतिहासिक फैसले में पूरी विवादित जमीन (2.77 एकड़) रामलला को तथा अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख जगह पर पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इन्कार कर दिया था।

उत्तराखंड में मंत्री खुद भरेंगे आयकर, विधेयक पारित

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में अब मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। सदन में प्रस्तुत उत्तराखंड मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध)(संशोधन) विधेयक शुक्रवार को पारित कर दिया गया।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय सभी मंत्रियों का आयकर सरकार द्वारा चुकाए जाने की व्यवस्था आरंभ की गई थी। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अब तक, यानी पिछले 38 वर्षों से यह व्यवस्था यथावत चल रही थी। इस व्यवस्था की अप्रासंगिकता का मामला दैनिक जागरण ने गत 14 सितंबर के अंक में उठाया था। इसके बाद सरकार ने मंत्रियों का आयकर सरकार द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया।

बीते वर्ष सरकार ने उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध (संशोधन) विधेयक पारित कर विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की थी। सरकार ने मंत्रियों का वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार किया गया और मंत्री के रूप में मिलने वाले उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए। अलग-अलग मदों में मिलने वाले भत्ते 42 हजार से बढ़ाकर 84 हजार, 36 हजार रुपये से बढ़ाकर 72 हजार और 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किए गए।

रेलवे ने जबरन रिटायर किए 32 अफसर, कई पर लटकी तलवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **रिटायर किए जाने वालों में सीनियर ग्रेड के डायरेक्टर और उससे ऊपर रैंक के 22 अफसर शामिल हैं**

▶ **कुल 1780 अफसरों व कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को कमतर पाया गया**

खराब प्रदर्शन एवं कदाचार के आरोप में रेलवे बोर्ड ने अपने 32 अफसरों व कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। निकट भविष्य में रेलवे के कई अन्य अकुशल अथवा भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी संभव है।

जबरन रिटायर किए जाने वालों में सीनियर ग्रेड के डायरेक्टर तथा उससे ऊपर रैंक के 22 अफसर शामिल हैं। बाकी दस अफसरों व कर्मचारियों का संबंध रेलवे सचिवालय सेवा व रेलवे स्टेनोग्राफर सेवा से है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों के अनुसार, सरकार को रेलवे में असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन, अकुशलता अथवा कदाचार के आधार पर डायरेक्टर रैंक से ऊपर के अफसरों को 50 वर्ष की सेवा के बाद, जबकि उससे नीचे रैंक के अफसरों व कर्मचारियों को 55 वर्ष की सेवा के बाद जबरन रिटायर करने का अधिकार है।

रेलवे बोर्ड के अलावा जोनों में भी अकर्मण्य व भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। इनमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एवं नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अफसर तथा उससे नीचे के कर्मचारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, यह कवायद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के तहत की जा रही है। विभाग ने सभी मंत्रालयों से अकुशल व भ्रष्ट अफसरों व कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सीनियर तथा उससे ऊपर के ग्रेड के 1410 अफसरों के कार्य प्रदर्शन को कमतर पाया। इनमें सबसे खराब प्रदर्शन वाले 22 अफसरों को समय से पहले रिटायर करने का फैसला किया गया। इसके अलावा इससे निचले ग्रेड तथा ग्रुप सी व डी के 370 अफसरों व कर्मचारियों की पहचान कर उनमें से 10 को जबरन रिटायर करने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में भी रेलवे के चार अफसर समय से पहले रिटायर किए गए थे। उस समय 1824 अफसरों की समीक्षा की गई थी।

27 दिन पहले के फैसले से छटी 27 वर्ष की धुंध

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

27 वर्षों से जो तारीख शौर्य और गम की चादर में लिपटी रही। 27 वर्ष पहले (6 दिसंबर 1992) घटे घटनाक्रम के बाद जो गली संगीनों के सख्त साये में रही। जो भूमि चार सदी से ज्यादा वक्त से अपने सीने पर विवाद ढोती रही, वह इस 6 दिसंबर को ठीक 27 दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मानों स्वयं के बेदाग होने की मुनादी कर रही थी। 27 वर्ष पहले के 6 दिसंबर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के 6 दिसंबर का यह फर्क रामलला की ओर जाने वाली गली में कदम रखते ही महसूस होता है, तब जब आप निर्विवादित भूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन की कामना से पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पहली 6 दिसंबर को रामलला का दर्शन करने वालों की संख्या भी हजारों में रही। प्रथम व द्वितीय पाली में कुल मिला कर 6,244 दर्शनार्थियों ने रामलला के दर्शन किए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली 6 दिसंबर को रामजन्मभूमि की ओर जाने वाली गली में हिंदुस्तान की सांस्कृतिक, वेश-भूषागत और भाषाई विविधता के भी दर्शन होते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू, बिहार और देश के अलग-अलग राज्यों के लोग कदम-कदम पर नजर आते हैं। दशरथ महल से आगे बढ़ने पर यज्ञशाला मंदिर के बाद संत प्रयागराज मिलते हैं, लोगों से रामकोट की विशिष्टता साझा करते हुए...। दशरथ महल, रामजन्मभूमि व रामकोट के अन्य मंदिरों का समीकरण सुन श्रद्धालुओं के रोमांच में भरा होने का भाव उनके चेहरे से स्वतः झलक उठता है। वहीं से रामलला की ओर निहारते बिहार के छपरा से आए सुधीर सिन्हा कहते हैं हम पहले भी अयोध्या आए हैं, पर 6 दिसंबर को नहीं। रामजन्मभूमि के आग्नेयकोण पर विराजमान बजरंगबली का दर्शन कर रामलला की ओर बढ़ते गुजरात के अहमदाबाद से आए हरीश मेहता कहते हैं कि हमने 6 दिसंबर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इसीलिए जब फैसला आया, तभी तय किया कि इस साल रामलला का दर्शन 6 दिसंबर को ही करेंगे।

अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने जाते श्रद्धालु। जागरण

निर्मूल साबित हुई आशंकाएं

6 दिसंबर को लेकर सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। रामनगरी में पहरा कड़ा रहा, लेकिन जनजीवन पर इसका असर कम दिखा। अयोध्या में बाजार ग्राहकों से गुलजार रहीं। टेंपो-टैक्सी का संचालन भी सामान्य रहा। सुबह लोगों को पहचान पत्र देखने के बाद नगरी में प्रवेश दिया गया, लेकिन दोपहर बाद इसमें भी रियायत दे दी गई। रामकोट सहित संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो रामनगरी के अधिकतर इलाकों में पाबंदियों का असर नहीं दिखा। रामनगरी की आम जनता व्यवस्थाओं में पुलिस का सहयोग करती दिखी। अधिगृहीत परिसर की ओर जाने वाले मार्ग कड़ी निगरानी में रहा। पहचान पत्र देखकर ही वाहन चालकों को प्रवेश दिया गया। रामकोट की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरियर रहे। डीएम अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी दिनभर रामनगरी में भ्रमणशील रहे। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त ड्रोन की भी मदद ली गई। 6 दिसंबर के साथ जुमा की नमाज को लेकर भी प्रशासन और पुलिस काफी सतर्क रहे।

सांध्य दैनिक संचालक जीतू पर वेश्यावृत्ति का भी मुकदमा दर्ज

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मानव तस्करी और लूट मामले में फरार सांध्य दैनिक संचालक जीतू (जितेंद्र) सोनी पर शुक्रवार को वेश्यावृत्ति में लिप्त होने और शिकायत करने वाली पीड़िताओं को धमकाने को लेकर भी केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने जीतू पर इनाम राशि 30 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा है।

एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र के मुताबिक, जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी और उसके बेटों अमित व विक्की सोनी, भतीजे लक्की, जिग्नेश, निखिल और भाई हुकुम सोनी पर 13 केस दर्ज हो चुके हैं। गुजरात, मुंबई सहित कई शहरों में तलाशने के बाद भी जीतू की जानकारी नहीं मिली है। उधर, एक युवती की शिकायत पर जीतू सोनी, राव साहब (अकाउंटेंट) और हुकुम सोनी (भाई) के खिलाफ गवाही और बयान देने पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया गया है। मूलतः कोलकाता निवासी युवती को पुलिस ने होटल माय होम से मुक्त कराया था। पुलिस ने शिकायत के लिए तीन सेल का गठन भी किया है। उधर, आयकर विभाग ने भी जीतू सोनी की संपत्ति का ब्योरा पुलिस से मांगा है।

अमित नौ तक रिमांड पर : सांध्य दैनिक अखबार 'संझा लोकस्वामी' के कर्ताधर्ता व जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी और होटल माय होम के मैनेजर जे. वर प्रसाद राव को जिला कोर्ट ने नौ दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पलासिया थाना पुलिस ने अमित सोनी और जे. वर प्रसाद राव के खिलाफ मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया है। चार दिन पहले पुलिस ने उन्हें जिला कोर्ट में पेश कर शुक्रवार तक रिमांड पर लिया था। शुक्रवार दोपहर रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था।

महिलाओं पर लुटाए रुपये इकट्ठा करते थे 'पति' : माय होम होटल से बरामद महिलाओं को उनके पतियों को सौंपने के संबंध में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पतियों की तरफ से दायर याचिका में एसएसपी द्वारा पेश शपथ-पत्र में कहा गया है कि महिलाएं डांस करती थीं और खुद को पति बताने वाले युवक ग्राहकों द्वारा महिलाओं पर लुटाए गए रुपये इकट्ठा करते थे। ये युवक तो खुद मानव तस्करी के मामले में लिप्त हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह शनिवार रात पुलिस ने माय होम होटल से 67 महिलाओं और युवतियों को बरामद किया था।

हर छात्रवृत्ति में 40 फीसद का हिस्सेदार था दलाल

जागरण संवाददाता, देहरादून

▶ **एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने दलाल राकेश तोमर से कर रखा था लिखित समझौता**

▶ **दलाली के करीब 26 लाख रुपये का भुगतान संस्थान ने चेक के जरिये किया**

उत्तराखंड में हुए करीब पांच सौ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में 4.31 करोड़ रुपये डकारने वाले संस्थान एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने बाकायदा दलाल पाल रखे थे। दुस्साहस यह कि संस्थान ने दलाल से लिखित में समझौता भी कर रखा था। इसके अनुसार दलाल जितने भी दाखिले कराएगा, उसके नाम पर निकलने वाली छात्रवृत्ति में से 40 फीसदी हिस्सा उसे दिया जाएगा। बाकी रकम पर संस्थान का हक होगा। विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच में पाया गया कि दलाल को संस्थान ने इस समझौते के तहत करीब 26 लाख रुपये चेक के जरिये दिए।

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर गठित एसआइटी ने एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 4.31 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा है। संस्थान में यह घपला शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2015-16 के मध्य का है। फरवरी में प्रेमनगर थाने में इस आशय का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना में अभी तक संस्था के संयुक्त सचिव मानवेंद्र स्वरूप और एक दलाल राकेश तोमर की मिलीभगत के साक्ष्य मिले हैं। मानवेंद्र उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित दयानंद शिक्षण संस्थान के सचिव भी हैं। उन्हें बुधवार को कानपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि राकेश तोमर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना के दौरान एसआइटी को एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और राकेश तोमर के बीच किया गए समझौते के दस्तावेज भी मिले। इसमें उल्लेख है कि राकेश तोमर संस्थान को अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। वहीं, छात्रों का प्रवेश कराएगा और छात्रों के बैंक में खाता भी खुलवाएगा। इस आधार पर एसआइटी ने जब संस्थान से लेकर राकेश तोमर के बैंक खातों की डिटेल खंगाली तो पता चला कि संस्थान ने उसे चेक के जरिए 26 लाख 13 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

> संस्थान और राकेश तोमर के बीच हुआ समझौतानामा सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ। जांच के बाद भी सामने आया कि किस तरह संस्थान संगठित गिरोह के रूप में गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प रहा था।
> –संजय गुंज्याल, आइजी एसआइटी

राकेश ने भी बना रखे थे एजेंट

जांच में यह भी सामने आया है कि संस्थान के पास राकेश के अलावा और भी कई दलाल हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का दाखिला कराते थे। राकेश खुद तो गांवों में जाकर लोगों से संपर्क करता ही था, इसके अलावा उसने कई युवकों को जोड़ रखा था।

समाज कल्याण विभाग के दो जेडी भी हो चुके हैं गिरफ्तार

घोटाले में मानवेंद्र स्वरूप के रूप में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग के दो संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल व अनुराग शंखधर को एसआइटी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

बीएचयू के वर्तमान व पूर्व कुलपति अवमानना के दोषी करार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▶ **छह हफ्ते में कारण बताने का निर्देश दिया कि क्यों न उन्हें अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए**

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी के वर्तमान व पूर्व कुलपति, दो पूर्व कुलसचिव व दो पूर्व उप कुलसचिव को प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया है। सभी से छह हफ्ते में कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उन्हें अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए। सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने डा. संदीप कुमार, अभिषेक चन्द्रा व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने बीएचयू के कुलसचिव को निर्देश दिया है कि अवमानना के आरोपित वर्तमान कुलपति राकेश भटनागर व पूर्व कुलपति डॉ लालजी सिंह (दिवंगत), पूर्व कुलसचिव डॉ ज